



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 25 राँची, मंगलवार, 7 माघ, 1947 (श०)
27 जनवरी, 2026 (ई०)

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना
27 जनवरी, 2026

अधि०सं०-08/चुनाव-02/2026 न०वि०आ० - 203--यतः राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड ने अपने पत्रांक-03नि० (कार्यक्रम) 24/2013 दिनांक-09.01.2026 द्वारा झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 (झारखण्ड अधिनियम, 07, 2012) की धारा 539 के अधीन झारखण्ड के राज्यपाल को अपनी अनुशंसा प्रेषित की है कि राज्य अन्तर्गत कुल 48 नगरपालिकाओं में आम निर्वाचन कराया जाना प्रस्तावित है। इन 48 नगरपालिकाओं में 09 नगर निगम, 20 नगर परिषद् एवं 19 नगर पंचायत जिनमें 42 नगरपालिकाओं का कार्यकाल समाप्ति पर तथा 06 नव गठित सहित नगरपालिकाओं यथा-मेदिनीनगर नगर निगम (वर्ग-ख), हजारीबाग नगर निगम (वर्ग-ख), गिरिडीह नगर निगम (वर्ग-ख), देवघर नगर निगम (वर्ग-ख), धनबाद नगर निगम (वर्ग-क), चास नगर निगम (वर्ग-ख), राँची नगर निगम (वर्ग-क), आदित्यपुर नगर निगम (वर्ग-ख), मानगो नगर निगम (वर्ग-ख), गढ़वा नगर परिषद (वर्ग-ख), विश्रामपुर नगर परिषद (वर्ग-ख), चतरा नगर परिषद (वर्ग-ख), झुमरीतिलैया नगर परिषद (वर्ग-ख), मधुपुर नगर परिषद (वर्ग-ख), गोड्डा नगर परिषद (वर्ग-ख), साहेबगंज नगर परिषद (वर्ग-ख), पाकुड़ नगर परिषद (वर्ग-ख), दुमका नगर परिषद (वर्ग-ख), मिहिजाम नगर परिषद (वर्ग-ख), चिरकुण्डा नगर परिषद (वर्ग-ख), फुसरो नगर परिषद (वर्ग-ख), रामगढ़ नगर परिषद (वर्ग-क), लोहरदगा नगर परिषद (वर्ग-ख), गुमला नगर परिषद (वर्ग-ख), सिमडेगा नगर परिषद (वर्ग-ख), चक्रधरपुर नगर परिषद (वर्ग-ख), चाईबासा नगर परिषद (वर्ग-ख), कपाली नगर परिषद (वर्ग-ख), जुगसलाई नगर परिषद (वर्ग-ख), श्रीबंशीधरनगर नगर पंचायत, मझिआंव नगर पंचायत, हुसैनाबाद नगर पंचायत, हरिहरगंज नगर पंचायत, छतरपुर नगर पंचायत, लातेहार नगर

पंचायत, कोडरमा नगर पंचायत, डोमचांच नगर पंचायत, बड़कीसरैया नगर पंचायत, धनवार नगर पंचायत, महागामा नगर पंचायत, राजमहल नगर पंचायत, बरहरवा नगर पंचायत, बासुकीनाथ नगर पंचायत, जामताड़ा नगर पंचायत, खूँटी नगर पंचायत, बुण्डू नगर पंचायत, सरायकेला नगर पंचायत एवं चाकुलिया नगर पंचायत है, जिनमें आम निर्वाचन प्रस्तावित है।

अतः माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची द्वारा दिनांक-24.11.2025 को पारित न्यायादेश के क्रम में झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा 539 के अधीन, जैसा कि राज्य निर्वाचन आयोग ने अनुशंसा की है, झारखण्ड के राज्यपाल, एतद् द्वारा उपरोक्त 48 नगरपालिकाओं में आम निर्वाचन कराने तथा शहरी स्थानीय निकायों के गठन करने के उद्देश्य से, संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं से यह अपेक्षा करते हैं कि वे उक्त अधिनियम एवं एतद् नियमावली के उपबंधों एवं आदेशों के अनुसार दिनांक-23.02.2026 को मतदान कर उक्त निर्वाचन क्षेत्र/प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के पदधारकों को निर्वाचित कर दें।

झारखण्ड के राज्यपाल के आदेश से,

सुनील कुमार,
सरकार के प्रधान सचिव ।
